जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 03 दिनांक 01-04-2009

आदेश

विषयः– वर्ष 2009–10 में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

****

राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ 12(16) ऊर्जा/04 दिनांक 09.02.09 के द्वारा 01 अप्रेल–03 से 31 दिसम्बर 2007 तक के सामान्य कृषि श्रेणी विचाराधीन आवेदकों को वर्ष 2009–10 में मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त नये कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए पूर्व वर्ष की भाँति निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते है:–

1. मांग पत्र जारी करना

(i) उपरोक्त में से 50 प्रतिशत आवेदकों के मांगं पत्र 15 अप्रेल–2009 से 30 अप्रेल 2009 तक जारी किये जावेगें तथा शेषं आवेदकों के मांग पत्र 15 जुलाई–2009 से 31 जुलाई–2009 तक जारी किये जावेगें।

(ii) सभी श्रेणियों के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नही कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी दे दी जावे।

(iii) समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हे तुरन्त प्राथमिकता के आधार कृषि कनेक्शन देय है, के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता के आंधार पर जारी किये जायेगे।

2. प्राथमिकता

कृषि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।

3. कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य

15 अप्रेल–2009 से 30 अप्रेल 2009 तंक जारी किये गये मांग पत्रों के कुल आवेदकों की जमा राशि के 1/3 कनेक्शन अगस्त में, 1/3 सितम्बर में तथा 1/3 अक्टूबर–09 में किये जायेगें, इसी प्रकार 15 जुलाई–09 से 31 जुलाई–09 ताक जारी मांग पत्रों के कुल जमा राशि के 1/3 नवम्बर, 1/3 दिसम्बर–09 एवं 1/3 जनवरी–2010 में कनेक्शन जारी किये जायेगें।

लगातार पृष्ठ 2 पर

4. कनेक्शन के लिये सामान की ढुलाई

कृषि कनेक्शन के लिये जरूरी सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मांग पत्र में 1500 रूपयें अतिरिक्त चार्ज किये जावेंगें। यदि आवेदक अपने खर्चे पर सारे सामान की ढुलाई का कार्य स्वंय करना चाहता हो तो उससे सामान ढुलाई की राशि चार्ज नही की जायेगी।

5. लाईन एवं सब स्टेशन लगाने के क्रम में

कृषि कनेक्शन हेतु 11 के०वी० लाईन तथा 11/0.4 के०वी० सब स्टेशन लगाने का कार्य निगम द्वारा निर्धारित सी०एल०आर०सी० रेट पर कराया जायेगा एवं यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि लाईन व सब स्टेशन खडी करने में अच्छी गुणवत्ता बनी रहे, समय पर सामान की ढुलाई का कार्य एवं कृषक को बिना असुविधा के कृषि कनेक्शन जारी हो।

1.4.09

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- अध्यक्ष, डिस्कॉम्स जयपुर
- वित्तीय निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- उप मुख्य अभियन्ता (एम.एम एण्ड टी डब्लू) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन / बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी , जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर / जिला / परि. एवं संधा. / सर्तकता / टी.डब्लू / वाणिज्य / एमएमसी / एमएण्डपी / बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / बाड़मेर / बीकानेर / जैसलमेर / चुरू / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) / उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा. / एम.एम. / अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
- कम्पनी सचिव / उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता(/ पवस / विधि / सर्तकता / अंकेक्षण)जोविविनिलि.......................
(आप के अधिनिस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।)
- जनसम्पर्क अधिकारी जोविविनिलि,जोधपुर

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।